कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड,

बनाम

पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड और अन्य

23 फ़रवरी 2000

[के.टी. थॉमस और डी.पी. महापात्र, जे.जे.]

आपराधिक विधि:

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 188। :

धारा 138 के तत्व-चेक का अनादरण-बीमार कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कंपनी द्वारा जारी किये गये चेकों का अनादरण- आपराधिक कार्यवाही की पोषणीयता-लेकिन धारा 138 का अपराध पूरा होने से पहले आहर्ता कंपनी को एसऔईसीए की धारा 22 के तहत बीऔईएफऔर द्वारा बीमार घोषित किया गया था। निर्धारित- यदि धारा 138 के तत्व बनते हैं तो धारा 22 आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती है-हालांकि, चेक निकालने की तारीख से पहले या धारा 138 के प्रावधान के परन्तुक (बी) के तहत नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले यदि कंपनी की संपित के निपटान के संबंध में चेक आहरण की तारीख से पहले एसआईसीए की धारा 22 के तहत बीआईएफऔर द्वारा प्रतिबंध आदेश पारित किया गया है तो ऐसे मामले में धारा 138 के तहत अपराध पूर्ण नहीं हुआ-एेसी स्थिति में,आपराधिक कार्यवाही पोषणीय नहीं है।

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985: धारा 22 क्षेत्र और सीमा-निर्धारित- कंपनी या उसके निदेशक द्वारा कानूनी रूप से अपनी संतुष्टि के लिए अन्य व्यक्तियों के प्रवर्तनीय बकाया पैसे के भुगतान पर रोक नहीं लगाता है।

चेक का अनादर-कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही-निर्धारित, धारा 22 केवल धन की वसूली के लिए कार्यवाही से संबंधित है-किसी कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध चेक के अनादरण के लिए आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती है।

अपीलार्थी-कंपनी ने प्रतिवादी-परिवादी कंपनी के पक्ष में कारोबार के दौरान उत्तर दिनांकित चेक जारी किए। जब परिवादी ने बैंक में चेक प्रस्तुत किये तो वे बिना भुगतान वापस आ गये। फिर परिवादी ने चेक अनादरण के तथ्य बताते हुए कंपनी और/या उसके निदेशकों को नोटिस जारी किया और भुगतान की मांग की। चूंकि परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 बी के प्रावधानों के परन्तुक(बी) के तहत 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई भुगतान नहीं किया गया था, भुगतानकर्ता ने कंपनी और/या उसके निदेशकों के खिलाफ अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया है कि उन्होंने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध किया है। इससे पहले चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए या बैंक द्वारा चेक जारी करने वाली कंपनी के चेक का भुगतान करने से इनकार करने के बाद आहर्ता कंपनी को रूग्ण औचोगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के प्रावधानों के तहत औचोगिक बोर्ड द्वारा वितीय पुनर्निर्माण (बीआईएफऔर) द्वारा बीमार घोषित किया गया।

परिवादी की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय से समन प्राप्त होने पर आरोपी कंपनी और/या उसके निदेशकों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत आपराधिक मामले में शिकायत/कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए मुख्यतः इस आधार पर कि याचिकाए दायर कीं कि एसऔईसीए की धारा 22 के प्रावधानों के मद्देनजर उनके खिलाफ एनआई अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामला ग़लत है और अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दीं। इसलिए यह अपीलें की गई हैं।

इस न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए

निर्धारितः 1.1. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 लाने का उद्देश्य बैंकिंग संचालन की प्रभावकारिता और परक्राम्य साधनों पर व्यापार के लेन-देन में विश्वास पैदा करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास कोर लिमिटेड बनाम भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट एवं इंजीनियर्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रा. लिमिटेड, [1996) 2 एससीसी 739, पर आधारित

- 1.2. एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी मामले को स्थापित करने के लिए जिन तत्वों को संतुष्ट किया जाना हैं:
- (i) किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा किसी बैंक में रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए पैसे का भुगतान करने के लिए चेक काटा हो।

- (ii) वह चेक, चैक निकालने की तारीख के छः महीने की अवधि के भीतर, या इसकी वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो; बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया हो या
- (iii) वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, या तो खाते में जमा धनराशि चैक के भुगतान के लिए अपर्याप्त है या बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है;
- (iv) चेक प्राप्तकर्ता या धारक बैंक से चेक की वापसी के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर चेक प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को लिखित में नोटिस देकर उक्त अप्राप्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है;
- (v) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के नियत समय 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त भुगतान करने में विफल रहता है।
- 1.3. यदि उपरोक्त वर्णित तत्व संतोषप्रद हों तो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है उसके द्वारा अपराध किया जाना माना जाायेगा। इस मामले के तथ्यों से यह मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। इसलिए परिवाद और उसके साथ दायर दस्तावेजों से प्रथमदृष्ट्या धारा 138 के तत्व स्थापित होने के कारण, मजिस्ट्रेट ने उचित रूपसे अपराध का संज्ञान लिया और अपीलार्थी को समन जारी किये।
- 2.1. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की धारा 22 केवल धन की वसूली या कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी सुरक्षा या गारंटी को लागू करने के संबंध में और कंपनी के समापन की

कार्यवाही से संबंधित है। यह धारा किसी भी आपराधिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं करती है।

बीएसआई लिमिटेड बनाम गिफ्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, [2000] 2 एससीसी 737, पर आधारित।

- 2.2. अपीलकर्ता का तर्क है कि यदि आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया जाता है और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाता है और जुर्माने की सजा दी जाती है, तो कंपनी की संपत्ति से जुर्माने की राशि वसूल करना आवश्यक होगा, जो कि धारा 22 एसआईसीए के प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं होगा। एसऔईसीए समय से पहले और दूर की कौड़ी है क्योंकि आरोपी कंपनी या उसके निदेशकों से जुर्माना वसूलने का अवसर केवल तभी आएगा जब उन्हें दोषी ठहराया जायेगा और उनके खिलाफ जुर्माने की सजा दी जायेगी। यह मानने का आधार नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही की सीमा पर ही बंद कर दिया जाना चाहिए।
- 2.3. अपीलकर्ता का आगे तर्क है कि यदि कंपनी के निदेशकों को दोषी ठहराए जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में रखा जाता है तो कंपनी के पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक और वितीय पुनर्निर्माण बोर्ड के प्रयास संभव नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। बीआईएफऔर द्वारा की गई जांच निरर्थक हो जाएगी यह आशंका बहुत दूर है।
- 3.1. धारा 22 एसआईसीए किसी कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ एनऔई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के आरोप पर आपराधिक मामला शुरू करने और आगे बढ़ाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यह धारा केवल कंपनी के ऋणों की वसूली के लिए उसकी संपत्तियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाती है। इस तरह के प्रतिबंध का उद्देश्य लेनदारों के बकाया की वसूली के लिए कंपनी की संपत्तियों को कुर्क

किए जाने या बेचे जाने से बचाना है। यह धारा कंपनी या उसके निदेशकों द्वारा अन्य व्यक्तियों को उनके कानूनी रूप से लागू करने योग्य बकाया की संतुष्टि के लिए भुगतान या धन पर रोक नहीं लगाती है।

3.2. एक मामले में जिसमें बीआईएफऔर ने एक कंपनी को 'रूग्ण' घोषित करते ह्ए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और धारा 22-ए के तहत एक निर्देश भी जारी किया है जिसमें कंपनी या उसके निदेशकों को बोर्ड की सहमति के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करने रोका गया है। तब अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क उठाया गया कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कथित अपराध के लिए एक आपराधिक मामला उस अवधि के दौरान श्रू नहीं किया जा सकता है जिसमें बीआईएफऔर द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश प्रभावी रहता है, इसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। विवाद स्वीकार किया जा सकता है या नहीं यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जहां चेक जारी होने की तारीख से पहले या नोटिस के बाद 15 दिनों की वैधानिक अविध की समाप्ति से पहले, कंपनी के खिलाफ धारा 22-ए के तहत बीआईएफऔर का प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, तो यह नहीं कहा एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध की कार्रवाई पूरी नहीं जा सकता है कि की गयी। ऐसे मामले में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि बैंक द्वारा चेक का अनादरण होना और कंपनी और/या उसके निदेशकों द्वारा राशि का भ्गतान करने में विफलता आरोपी के नियंत्रण से परे कारणों से है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि परिवादी द्वारा दावा की गई राशि बीआईएफऔर द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश के मद्देनजर कंपनी की संपत्ति से वसूली योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह अन्यायपूर्ण होगा और मंशा के विपरीत होगा और क़ानून का एक उद्देश्य यह है कि निदेशकों को आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

3.3. ऊपर उल्लेखित परिस्थित को छोड़कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने या कार्यवाही को स्थिगित रखने की प्रार्थना के पक्ष में अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए तकों को स्वीकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। अपीलार्थीगण के लिए यह खुला होगा कि वे इस संबंध में प्रासंगिक तथ्य उस मिजिस्ट्रेट के समक्ष रखें, जिसके समक्ष मामले लंबित हैं और मिजिस्ट्रेट यहां की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करेगा। यह प्रश्न कि क्या किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एनआई अधिनियम की धारा 138 लागू होती है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर न्यायालय द्वारा मामले के अभिलेख के प्रकाश में उचित स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 212-216/2000 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांक 30.03.99 सीऔरएल. और.सी. 389-393/1999

एम.एन. राव, पी.चिदम्बरम, टी.और.अंध्यारुजिना, अशोक एच.देसाइ, एम.एस. जेनेश, ए.के. गांगुली, टी.एल.वी. अय्यर, दुष्यन्त ए. दवे, यू.एन.ई भचावत, रंजीत कुमार, सुश्री अनु मोहला, प्रणब कुमार मुलिक, पी. निरोप, भगवती प्रसाद, पवन कुमार, चन्द्र भूषण, बी.पी. पाधी, जे.एस.गोस्वामी, सुश्री बीना गुप्ता, प्रश्यान्त नाइक, सुश्री रेखा रे, श्रीमती उर्मिला सिरुर, निखिल नायर, सी.एल. सरीन, राजीव दत्ता, श्रीमती एनाक्षी कुलश्रेष्ठ, उदय कुमार, किपल शर्मा, एच.पी. शर्मा, जी. श्रीधर, वाई.राजागोपाला राव, और.एन. केशवानी, वी.जे. फ्रांसिस, एन.एस.तांबवेकर, जी.बी. साठे, नितिन तामस्वेकर, आलोक सेनगुप्ता, रंजन नारियन, सुश्री दीपादास, सुश्री लावण्या, विवेक जुत्शी, एस. सुकुमारन, यू.यू. लितत, सुश्री एच. वाही, सुश्री अनु साहनी, अशोक गुप्ता, और. शिशप्रभु, ए.पी. विनोद, मनोज प्रसाद, मोहित माथुर, सुश्री आस्था त्यागी, एस. प्रसाद, वी.ए.

राणा, राजेश नायर, ई.और. कुमार, और. नेदुमारन, कैलाश वासदेव, और. रहीम, वी.बी. जोशी, सुश्री श्वेता शर्मा, जी. प्रभाकर, सुश्री टी. अनामिका, कृष्णामूर्ति स्वामी, एस.एस.राणा, श्रीमती बिंद्रा राणा, विक्रांत राणा, के. मारुति राव, श्रीमती के. राधा, डी. महेश बाबू, पी.एस. नरिसम्हा, सुश्री भारती बी., पी. श्रीधर, वी.जी.प्राज्ञासम, संजीव सेन, और.एन. करंजावाला, सुश्री नंदिनी गोरे, अरुणभ चौधरी, मणिक करंजावाला, रमेश सिंह, नारिस बीरानी,पी.आई.जोस, जेनिस फ्रांसिस,टी.के. स्वामीनाथन, के.के. गुप्ता, जे.एस.अरोड़ा, पुनीत, एस. शर्मा, सुश्री आशा जेन मदन और सुश्री राखी रे उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **डी.पी.महापात्रा जे.** द्वारा सुनाया गया।

अनुमत किया गया ।

इन अपीलों में विचार के लिए सामान्य प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी कंपनी और उसके निदेशकों पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन.आई. अधिनियम') की धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। चेक राशि के भुगतान की अवधि समाप्त होने से पहले रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एसऔईसीए') के प्रावधानों के तहत रूग्ण घोषित कर दिया गया है। प्रश्न का उत्तर एनआई अधिनियम की धारा 138 की व्याख्या और एसआईसीए के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ इसकी बातचीत पर निर्भर करता है। चूंकि सभी मामलों में शामिल प्रासंगिक तथ्य समान हैं और सभी मामलों में कानून का एक सामान्य प्रश्न उठता है, इसलिए सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की गई और इस निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

जिन तथ्यात्मक स्थितियों के बारे में कोई विवाद नहीं है, उन्हें इस प्रकार बताया जा सकता है: कंपनी के कारोबार के दौरान परिवादी के पक्ष में कंपनी की ओर से पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे। जब परिवादी ने बैंक में चेक प्रस्तुत किए तो वे बिना भूगतान के लौटा दिये गये थे। फिर परिवादी ने कंपनी और/या उसके निदेशकों को चेक के अनादरण के तथ्य बताते हुए नोटिस जारी किया और भुगतान की मांग की। चूंकि एन.आई. अधिनियम के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई भ्गतान नहीं किया गया था, इसलिए भ्गतानकर्ता ने मामला दायर किया। कंपनी और/या उसके निदेशकों के विरूद्ध परिवाद में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध किया है। बैंक में चेक प्रस्तुत करने से पहले या बैंक द्वारा चेक का भ्गतान करने से इन्कार करने के बाद चेक जारी करने वाली कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षेप में 'बीआईएफऔर') द्वारा एसआईसीए के प्रावधानों के तहत रूग्ण घोषित कर दिया गया था। परिवादी की शिकायत पर दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय से समन प्राप्त होने पर आरोपी कंपनी और/या उसके निदेशकों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 या संविधान के अन्च्छेद 127 के तहत आपराधिक मामले में शिकायत/कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए मुख्यतः इस आधार पर कि याचिकाए दायर कीं कि एसऔईसीए की धारा 22 के प्रावधानों के मद्देनजर उनके खिलाफ एनआई अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक मामला ग़लत है और अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दीं। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते ह्ए ये अपीलें दायर की हैं।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का मुख्य जोर यह है कि बीआईएफऔर द्वारा कंपनी को रूग्ण घोषित किए जाने पर शिकायतकर्ताओं

द्वारा उनके कारण बताई गई राशि की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका और इसलिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। आहर्ता कंपनी और उसके निदेशक के विरूद्ध यह आरोप कि शिकायतकर्ता के पक्ष में आहरित चेक बैंक द्वारा अनादिरत कर दिए गए थे, गलत धारणा है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उनका तर्क है कि आपराधिक मामले में कार्यवाही तब तक रोक दी जानी चाहिए या निलंबित कर दी जानी चाहिए जब तक कि आरोपी कंपनी एक कार्यात्मक और व्यवहार्य इकाई नहीं बन जाती। अपीलार्थीगण की ओर से एसऔईसीए की धारा 22 और 22-ए पर भरोसा किया गया है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले की निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर प्रथमदृष्टया आरोपी के खिलाफ एन.आई.अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला बनता है और इस स्थिति से संतुष्ट होने पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और अपीलार्थीगण को सम्मन जारी करने का आदेश दिया। उनका कहना है कि धारा 22 का आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उक्त धारा आरोपी कंपनी या उसके निदेशकों द्वारा बकाया राशि के भुगतान पर रोक नहीं लगाती है,कंपनी के समापन या निष्पादन या संकट की कार्यवाही द्वारा लेनदारों को कंपनी से अपना बकाया वसूलने पर केवल प्रतिबंध लगाया जाता है। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आपराधिक मामले को कंपनी से देय धन की वसूली के लिए कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है।

पक्षकारों की ओर से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले एन.आई. अधिनियम और एसआईसीए के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना सुविधाजनक होगा। एन.आई अधिनियम की धारा 138 से 141 जो मामले के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, यहां उद्धृत की गई हैं:

138- खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर -जहां किसी ट्यिक द्वारा किसी बैंकर के साथ उसके द्वारा रखे गए खाते पर उस खाते से किसी अन्य ट्यिक को किसी भी राशि के भुगतान के लिए निकाला गया चेक किसी भी ऋण या अन्य देनदारी का पूरा या आंशिक भुगतान, बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, क्योंकि या तो उस खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या वह व्यवस्थित राशि से अधिक है। उस खाते से उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा भुगतान किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से, जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से: बशर्ते कि इस धारा में शामिल कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक:-

- (ए) चेक को उसके निकाले जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया गया है;
- (बी) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक जारी करने वाले को पंद्रह दिनों के भीतर लिखित नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है। चेक को अदेय मानकर लौटाए जाने के संबंध में बैंक से उसे सूचना प्राप्त होना;और
- (सी) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के उचित क्रम में प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजन के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व है। 139- धारक के पक्ष में उपधारणा- जब तक कि विपरीत साबित न हो, यह माना जाएगा कि चेक धारक को किसी भी ऋण के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है या अन्य दायित्व-

140- धारा के तहत किसी भी अभियोजन में बचाव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

138- धारा 138 के तहत किसी अपराध के अभियोजन में यह बचाव नहीं होगा कि चेक जारी करने वाले के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उस धारा में बताए गए कारणों से चेक प्रस्तुति पर अनादिरत हो सकता है।

141- कंपनियों द्वारा अपराध (1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और आचरण के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा में शामिल कोई भी व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी; जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य की सहमित या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदन्सार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

- (ए) "कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;और
 - (बी) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म में भागीदार है।

यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि एनआई अधिनियम का अध्याय XVII जिसमें उपरोक्त धाराएं शामिल हैं, 1.4.1989 से 1988 के अधिनियम 66 द्वारा अधिनियम में शामिल किया गया था। धारा 138 को क़ानून में लाने का उद्देश्य बैंकिंग परिचालन की प्रभावकारिता और परक्राम्य लिखतों पर व्यापार के लेन-देन में विश्वास पैदा करना है।

(देखें:इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास कोर लिमिटेड बनाम भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट एवं इंजीनियर्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रा. लिमिटेड, [1996) 2 एससीसी 739, पर आधारित

एसऔईसीए की धारा 22 और 22-ए के प्रावधानों की बात करें तो, जो मामले में उठाए गए सवालों का आकलन करने के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें यहां उद्धृत किया गया है:

"22- कानूनी कार्यवाही, अनुबंध आदि का निलंबन-(1) जहां एक औद्योगिक कंपनी के संबंध में, धारा 16 के तहत एक जांच लंबित है या धारा 17 के तहत संदर्भित कोई योजना तैयारी या विचाराधीन है या एक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन के तहत है या जहां किसी औद्योगिक कंपनी से संबंधित धारा 25 के तहत अपील लंबित है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य कानून या औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख या किसी अन्य साधन में किसी भी बात के बावजूद

उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत प्रभावी होने पर, बोर्ड या, अपीलीय प्राधिकारी जैसा भी मामला हो, की सहमति के बिना औद्योगिक कंपनी को बंद करने या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपित के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्रवाई या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी (और नहीं) पैसे की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी भी सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी गारंटी के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा (2) जहां रुग्ण औद्योगिक कंपनी का प्रबंधन (धारा 18 के तहत स्वीकृत किसी भी योजना के अनुसरण में) ले लिया जाता है या बदल दिया जाता है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद। उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत प्रभाव रखने वाली ऐसी कंपनी या किसी उपकरण का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख -

- (ए) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कंपनी के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त करना वैध नहीं होगा;
- (बी) ऐसी कंपनी के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में पारित किसी भी प्रस्ताव को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित न किया जाए।
- (3) (जहां धारा 16 के तहत कोई जांच लंबित है या धारा 17 में संदर्भित कोई योजना तैयारी के अधीन है या अविध के दौरान) या धारा 18 के तहत किसी योजना पर विचार किया जा रहा है या जहां ऐसी किसी योजना को उसके उचित कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। योजना, बोर्ड संबंधित रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में आदेश द्वारा घोषित कर सकता है कि सभी या किसी अनुबंध, संपत्ति के आश्वासन, समझौते,

निपटान, पुरस्कार, स्थायी आदेश या लागू अन्य उपकरणों का संचालन, जिसके लिए ऐसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी एक पक्षकार है या जो ऐसे आदेश की तारीख से ठीक पहले ऐसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी पर लागू हो सकती है, निलंबित रहेगी या उक्त तारीख से पहले उसके तहत अर्जित या उत्पन्न होने वाले सभी या कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व और देनदारियां बनी रहेंगी। ऐसे गोद लेने के साथ और ऐसे तरीके से निलंबित या लागू किया जाएगा जो बोई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसी घोषणा दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी जिसे एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, कुल अवधि कुल मिलाकर सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (4) किसी रूग्ण औद्योगिक कंपनी के संबंध में उप-धारा (3) के तहत की गई कोई भी घोषणा कंपनी अधिनियम, 1956 1956 के 91, या किसी अन्य कानून, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होगी। या उक्त अधिनियम या अन्य कानून या किसी समझौते या किसी अदालत, न्यायाधिकरण, अन्य प्राधिकारी के अधिकारी के किसी डिक्री या आदेश या किसी सबमिशन, निपटान या स्थायी आदेश के तहत प्रभाव रखने वाला कोई उपकरण और तदनुसार -
- (ए) ऐसी घोषणा द्वारा निलंबित या संशोधित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व और दायित्व के प्रवर्तन के लिए कोई भी उपाय, और किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित उससे संबंधित सभी कार्यवाही ऐसी घोषणा के अधीन रुकी रहेगी या जारी रहेगी; और
 - (बी) घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर -

- (i) निलंबित या संशोधित रहने पर कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व पुनर्जीवित और लागू करने योग्य हो जाएगा जैसे कि घोषणा कभी की ही नहीं गई थी;और
- (ii) इस प्रकार रोकी गई किसी भी कार्यवाही को, किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, जो तब लागू हो सकता है, उस चरण से आगे बढ़ाया जाएगा, जब कार्यवाही रोक दी गई थी।
- (5) किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के प्रवर्तन के लिए सीमा की अविध की गणना करते समय, वह अविध जिसके दौरान यह या इसके प्रवर्तन का उपाय इस धारा के तहत निलंबित रहता है, को बाहर रखा जाएगा।
- "22-ए -परिसंपत्तियों का निपटान न करने का निर्देश- यदि बोर्ड की राय है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी या लेनदारों या शेयरधारकों के हित में या सार्वजनिक हित में कोई निर्देश आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी को बोर्ड की सहमित के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करना है -
 - ए) धारा 18 के तहत योजना की तैयारी या विचार की अवधि के दौरान; और
- बी) धारा 20 की उपधारा (1) के तहत कंपनी के समापन के लिए बोर्ड द्वारा राय की रिकॉर्डिंग से शुरू होने वाली अवधि के दौरान और संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष समापन से संबंधित कार्यवाही शुरू होने तक।"

धारा 138 एन.आई. अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि प्रावधान के तहत मामला बनाने के लिए जिन तत्वों को संतुष्ट किया जाना है वे हैं:

- (i) किसी व्यक्ति ने किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बैंक में उसके द्वारा रखे गए खाते पर चेक जारी किया होगा;
- (ii) वह चेक बैंक में उसके निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अविध के भीतर या उसकी वैधता की अविध के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया हो;
- (iii) वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, या तो खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है या यह बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है;
- (iv) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, चेक जारी करने वाले को सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, लिखित रूप में एक नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करता है। चेक को अवैतनिक मानकर लौटाने के संबंध में बैंक से;
- (v) ऐसे चेक का भुगतानकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर चेक के प्राप्तकर्ता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

यदि उपरोक्त तत्व संतोषप्रद हैं तो चेक काटने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। अनुभाग के स्पष्टीकरण में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वाक्यांश "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व है।

धारा 141 एन.आई. अधिनियम विशेष रूप से कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से संबंधित एक प्रावधान है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि यदि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और इसके लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था। कंपनी के व्यवसाय के

आचरण के साथ-साथ कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत यह निर्धारित किया गया है कि इस उप-धारा में निहित किसी भी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या ऐसे अपराध को घटित होने से रोकने के लिए उसने इसके लिए सभी उचित प्रयास किए थे।

धारा की उपधारा (2) कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रबंधक/सचिव या अन्य अधिकारी की मिलीभगत या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, ऐसे निदेशक/प्रबंधक/ सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदन्सार दंडित किया जाएगा।

शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए मामले के तथ्यों से, जिसका सार पहले ही नोट किया जा चुका है, स्थिति स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के खिलाफ धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। निर्विवाद रूप से अपीलार्थीगण द्वारा शिकायतकर्ता के बैंक खाते से कुछ निश्चित राशि के भुगतान के लिए चेक निकाले गए थे और उक्त चेक बैंक द्वारा अनादिरत हो गए थे और उस तारीख से 15 दिन बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया था। चेक अनादिरत होने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस जारी किया गया। इसलिए, धारा 138 के तत्व प्रथमदृष्टया शिकायत और उसके साथ दायर दस्तावेजों से स्थापित होने के कारण, मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से अपराध का संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं को सम्मन जारी किया।

विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या एसआईसीए के प्रावधानों के तहत उस राशि के भ्गतान में कोई कानूनी बाधा थी जिसके लिए चेक निकाले गए थे और इस कारण से अपीलार्थीगण को धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। एसआईसीए की धारा 22 को पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि धारा 16 के तहत जांच के लंबित होने के दौरान या धारा 17 के तहत संदर्भित योजना की तैयारी के दौरान या किसी स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के दौरान या धारा 25 के तहत अपील के लंबित होने के दौरान, औद्योगिक कंपनी को बंद करने या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट आदि के लिए या उसके संबंध में रिसीवर की निय्क्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं और धन की वसूली या प्रवर्तन के लिए कोई मुकदमा नहीं औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी भी सुरक्षा या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में कोई गारंटी, बोर्ड या अपीलीय प्राधिकारी की सहमति के बिना, जैसा भी मामला हो, ली जाएगी या आगे बढ़ाई जाएगी। यह अनुभाग केवल पैसे की वसूली या कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी सुरक्षा या गारंटी को लागू करने और कंपनी को बंद करने की कार्यवाही से संबंधित है। यह धारा किसी भी आपराधिक कार्यवाही का उल्लेख नहीं करती है। मैसर्स बीएसआई लिमिटेड एवं अन्य बनाम गिफ्ट होल्डिंग्स प्रा.लिमिटेड, आपराधिक अपील संख्या 847/1999 में हमने माना कि एसआईसीए की धारा 22(1) के तहत लंबित कार्यवाही एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायित्व से मुक्त होने के लिए पर्याप्त नहीं है

अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया कि यदि आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया जाता है और अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया जाता है और जुर्माने की सजा दी जाती है, तो कंपनी की संपत्ति से जुर्माने की राशि वसूल करना आवश्यक होगा, जो कि अनुचित होगा। एसऔईसीए की धारा 22 के प्रावधान-हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई झिझक नहीं है। वास्तव में इसी विवाद पर हमारे द्वारा मैसर्स बीएसआई लिमिटेड बनाम गिफ्ट होल्डिंग्स, (आपराधिक अपील संख्या 847/1999) में विस्तार से विचार किया गया था और इसे निरस्त कर दिया गया था। हमारे विचार में यह विवाद समय से पहले और दूर की कौड़ी है क्योंकि आरोपी कंपनी या उसके निदेशकों से जुर्माना वसूलने का अवसर केवल तभी आएगा जब उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। यह यह मानने का आधार नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही को शुरुआत में ही बंद कर दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से एक और तर्क यह उठाया गया कि यदि कंपनी के निदेशकों को दोषी ठहराए जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में रखा जाता है तो कंपनी के पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए बीआईएफऔर के प्रयास संभव नहीं होंगे। उस स्थिति में बीआईएफऔर द्वारा जांच का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। विवाद बहुत दूर का है और आशंका दूर की कौड़ी है। हम उक्त तर्क को अस्वीकार करते हैं।

हमारे विचार में धारा 22 एसआईसीए किसी कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के आरोपों पर आपराधिक मामला शुरू करने और आगे बढ़ने में कोई कानूनी बाधा पैदा नहीं करती है। जैसा कि हमने पढ़ा है, यह अनुभाग केवल कंपनी के ऋणों की वसूली के लिए उसकी संपत्तियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है। इस तरह के प्रतिबंध का उद्देश्य लेनदारों के बकाया की वसूली के लिए कंपनी की संपत्तियों को कुर्क किए जाने या बेचे जाने से बचाना है। यह धारा कंपनी या उसके निदेशकों द्वारा अन्य व्यक्तियों को उनके कानूनी रूप से लागू करने योग्य बकाया की संतुष्टि के लिए पैसे के भुगतान पर रोक नहीं लगाती है।

जिस प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या एसआईसीए की धारा 22 ए धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत अपराध के लिए आपराधिक मामले को प्रभावित करती है। उक्त धारा में बोर्ड को बीमार औद्योगिक कंपनी को बोर्ड की सहमति के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करने का निर्देश देने के लिए लिखित रूप में आदेश देने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है- (ए) तैयारी या विचार की अवधि के दौरान धारा-18 के अंतर्गत योजना की; और (बी) धारा-20 की उपधारा (1) के तहत कंपनी के समापन के लिए बोर्ड द्वारा राय की रिकॉर्डिंग से श्रूरू होने वाली अवधि के दौरान और संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष समापन से संबंधित कार्यवाही शुरू होने तक। बोर्ड द्वारा शक्ति का यह प्रयोग इस शर्त पर आधारित है कि बोर्ड की राय है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी या उसके लेनदारों या शेयरधारकों के हित में या सार्वजनिक हित में ऐसा निर्देश आवश्यक है। एक मामले में जिसमें बीआईएफऔर ने एक कंपनी को 'रूग्ण' घोषित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और धारा 22-ए के तहत एक निर्देश भी जारी किया है जिसमें कंपनी या उसके निदेशकों को बोर्ड की सहमति के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं करने के लिए कहा गया है। अपीलार्थीगण की ओर से उठाया गया तर्क कि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत कथित अपराध के लिए एक आपराधिक मामला उस अवधि के दौरान शुरू नहीं किया जा सकता है जिसमें बीआईएफऔर द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश प्रभावी रहता है, इसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। विवाद स्वीकार किया जा सकता है या नहीं यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए. चेक जारी होने की तारीख से पहले या नोटिस के बाद 15 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले, कंपनी के खिलाफ धारा 22-ए के तहत बीआईएफऔर का प्रतिबंध आदेश पारित किया गया था, तब यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपराध है। धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत कार्यवाही पूर्ण की गई।ऐसे मामले में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि बैंक द्वारा चेक का अनादर होना और कंपनी और/या उसके निदेशकों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफलता आरोपी के नियंत्रण से परे कारणों से है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राशि बीआईएफऔर द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश के मद्देनजर कंपनी की संपित से वसूली योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यह अन्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण होगा और क़ानून के इरादे और उद्देश्य के विरुद्ध होगा कि निदेशकों को आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर हमें आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने या कार्यवाही को स्थिगित रखने की प्रार्थना के पक्ष में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तकों को स्वीकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है। अपीलकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे इस संबंध में संबंधित सामग्री विद्वान मिजिस्ट्रेट के समक्ष रखें, जिनके समक्ष मामले लंबित हैं और विद्वान मिजिस्ट्रेट इस फैसले में की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करेंगे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 138 एन.आई. अधिनियम लागू होता है या नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर न्यायालय द्वारा मामले के उचित चरण में विचार किया जाना चाहिए। रिकार्ड पर हल्का साक्ष्य। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

अपील का निस्तारण किया गया

नोटः-यह अनुवाद और्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेमराज सिंह चन्द्रावत (और.जे.एस.डी॰जे॰ कैंडर) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।